कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. - 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेंल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 413/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 30.10.2026

थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़

☐ अंतर्जनपदीय शातिर अपराधियों के गिरोह का पर्दाफाश, चोरी एवं गृहभेदन की घटनाओं में संलिप्त तीन अभियुक्त गिरफ्तार; तीनों के विरुद्ध कुल 34 मुकदमे दर्ज।

☐ चोरी की दो घटनाओं का अनावरण, चोरी की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, सोने-चांदी के आभूषण, नकदी एवं अवैध तमंचा-कारतूस बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 30.09.2026 की रात्रि में थाना देवगांव क्षेत्रान्तर्गत ग्राम गोपालपुर सोठौली निवासी रामाशंकर यादव पुत्र जयराम यादव के घर के मुख्य द्वार के पास बरामदे में खड़ी स्प्लेंडर मोटरसाइकिल नं0 UP50CB2593, दो टीवी एवं अन्य घरेलू सामान चोरी कर लिया गया था। इस संबंध में थाना देवगांव पर मु0अ0सं0 349/2026 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में दिनांक 10.10.2026 को ग्राम कंजहित निवासी शिवशंकर पुत्र स्व0 दयाराम के घर में घुसकर बक्से में रखे सोने-चांदी के आभूषण, नकदी एवं अन्य सामान चोरी कर लिया गया था। इस संबंध में थाना देवगांव पर मु0अ0सं0 358/2026 धारा 305(ए) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में थाना देवगांव पुलिस टीम द्वारा दिनांक 30.10.2026 को समय करीब 01:50 बजे मेहनाजपुर रोड स्थित मोलनापुर ओवरब्रिज के नीचे से तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, सोने-चांदी के आभूषण, नकदी तथा एक अवैध तमंचा .315 बोर एवं दो जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद किए गए। गिरफ्तार अभियुक्तों का जनपद आजमगढ़ एवं जौनपुर सहित विभिन्न थानों में आपराधिक इतिहास पाया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. संजय राय पुत्र अकबल बहादुर, निवासी रामचन्द्रपुर, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।
2. सुमित उर्फ सोनू सिंह पुत्र सत्यदेव सिंह, निवासी अहिरौली, थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़।
3. संतोष सिंह पुत्र स्व0 चन्द्रप्रकाश सिंह, निवासी तिलहुआ, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़।

बरामदगी का विवरण-

1. चोरी की एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल नं0 UP50CB2593।
2. चांदी की 03 जोड़ी पायल।
3. चांदी की 15 बिछिया।
4. एक पीली धातु की चेन।
5. कुल ₹1,510 नकद।
6. एक अवैध तमंचा .315 बोर एवं दो जिन्दा कारतूस .315 बोर।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 349/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 358/2026 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0 376/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़ (अभियुक्त संजय राय के विरुद्ध)।

अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास-

1. संजय राय का आपराधिक इतिहास (कुल 10 मुकदमे)-

1. मु0अ0सं0 16/2012 धारा 110 सीआरपीसी, थाना देवगांव, आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 24/2008 धारा 429 भादवि, थाना देवगांव, आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0 262/2015 धारा 323/504/506 भादवि व 3(1)(एक्स) एससी/एसटी एक्ट, थाना देवगांव, आजमगढ़।

4. मु0अ0सं0 272/2016 धारा 60 आबकारी अधिनियम, थाना देवगांव, आजमगढ़।
5. मु0अ0सं0 115/2019 धारा 307/504/506 भादवि, थाना देवगांव, आजमगढ़।
6. मु0अ0सं0 120/2019 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना देवगांव, आजमगढ़।
7. मु0अ0सं0 276/2022 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट, थाना देवगांव, आजमगढ़।
8. मु0अ0सं0 358/2026 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस, थाना देवगांव, आजमगढ़।
9. मु0अ0सं0 349/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना देवगांव, आजमगढ़।
10. मु0अ0सं0 376/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना देवगांव, आजमगढ़।

2. सुमित उर्फ सोनू सिंह का आपराधिक इतिहास (कुल 05 मुकदमे)-
1. मु0अ0सं0 28/2024 धारा 406/420/467/468/504/506 भादवि, थाना मेहनगर, आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 259/2024 धारा 2(ख)(i)/3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट, थाना मेहनगर, आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0 125/2025 धारा 2(ख)(i)/3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट, थाना मेहनगर, आजमगढ़।
4. मु0अ0सं0 358/2026 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस, थाना देवगांव, आजमगढ़।
5. मु0अ0सं0 349/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना देवगांव, आजमगढ़।

3. संतोष सिंह का आपराधिक इतिहास (कुल 19 मुकदमे)-
1. मु0अ0सं0 06/2023 धारा 34/379/411/413/414 भादवि, थाना अहरौला, आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 396/2012 धारा 379/411/413 भादवि, थाना बरदह, आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0 32/2023 धारा 380/411/413/414/457 भादवि, थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़।
4. मु0अ0सं0 29/2023 धारा 34/379/411/413/414 भादवि, थाना जहानागंज, आजमगढ़।
5. मु0अ0सं0 46/2023 धारा 307/34 भादवि, थाना जहानागंज, आजमगढ़।
6. मु0अ0सं0 51/2023 धारा 307/34 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना जहानागंज, आजमगढ़।
7. मु0अ0सं0 290/2023 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट, थाना जहानागंज, आजमगढ़।
8. मु0अ0सं0 358/2026 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस, थाना देवगांव, आजमगढ़।
9. मु0अ0सं0 349/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना देवगांव, आजमगढ़।
10. मु0अ0सं0 311/2012 धारा 34/379/411/413/414 भादवि, थाना कन्धरापुर, आजमगढ़।
11. मु0अ0सं0 26/2023 धारा 34/379/413/414 भादवि, थाना फूलपुर, आजमगढ़।
12. मु0अ0सं0 387/2022 धारा 379/411/413 भादवि, थाना रानी की सराय, आजमगढ़।
13. मु0अ0सं0 47/2023 धारा 379/411/413/414 भादवि, थाना सिधारी, आजमगढ़।
14. मु0अ0सं0 245/2022 धारा 34/380/411/413/414/457 भादवि, थाना सरायमीर, आजमगढ़।
15. मु0अ0सं0 273/2012 धारा 110/110 सीआरपीसी, थाना निजामाबाद, आजमगढ़।
16. मु0अ0सं0 276/2012 धारा 3/4 यूपी गुण्डा एक्ट, थाना निजामाबाद, आजमगढ़।
17. मु0अ0सं0 729/2008 धारा 307 भादवि, थाना गौराबादशाहपुर, जनपद जौनपुर।
18. मु0अ0सं0 436/2012 धारा 380/458 भादवि, थाना चन्दवक, जनपद जौनपुर।
19. मु0अ0सं0 690/2012 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट, थाना चन्दवक, जनपद जौनपुर।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-
प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार सिंह यादव, उ0नि0 सुल्तान खान, उ0नि0 शकील अहमद खान, हे0का0 सर्वेश सिंह, हे0का0 संजय दुबे, का0 विपिन यादव, का0 कृष्ण कुमार सिंह, रि0का0 मोहित मिश्रा, रि0का0 अमित तिवारी, रि0का0 हिमांशु कुशवाहा एवं थाना देवगांव पुलिस टीम।

□ थाना मुबारकपुर पुलिस की बड़ी कार्यवाही, किराये के मकान में अवैध रूप से भण्डारित लगभग 02 लाख रुपये कीमत के 323 किलोग्राम पटाखे बरामद।

□ अवैध पटाखों के भण्डारण के मामले में अभियोग पंजीकृत, अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दो पुलिस टीमें गठित।

कार्यवाही का विवरण-
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक नगर मानुष पारीक एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर श्री ईश्वर लाल गुर्जर के कुशल पर्यवेक्षण में आगामी त्योहारों के दृष्टिगत अवैध पटाखों के भण्डारण एवं बिक्री के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 29.10.2026 को थाना मुबारकपुर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

➡ □पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि मोहल्ला पुरारानी, कस्बा मुबारकपुर स्थित एक किराये के मकान में अवैध रूप से पटाखों का भण्डारण किया गया है। सूचना पर प्रभारी निरीक्षक शशीचन्द चौधरी के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान सहर पत्नी समीर के मकान, जिसे गुलाब गुप्ता द्वारा किराये पर लिया गया था, के एक कमरे से विभिन्न कम्पनियों एवं ब्राण्ड के कुल 323 किलोग्राम अवैध पटाखे बरामद किए गए, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 02 लाख रुपये है।

बरामद पटाखों का विवरण-
1. फूलझड़ी – 1022 पैकेट।
2. पाप-अप बम – 119 पैकेट।
3. 18 शॉट रॉकेट – 01 पैकेट।
4. मिर्ची बम – 445 पैकेट।
5. इलेक्ट्रिक क्रैकर – 150 पैकेट।
6. प्राइम क्रैकर्स – 17 पैकेट।
7. रॉकेट – 12 पैकेट।
8. चकरी – 150 पैकेट।
9. मिनी बुलेट बम – 265 पैकेट।
10. मैच बॉक्स – 149 पैकेट।
11. अनार – 150 पैकेट।

पंजीकृत अभियोग-
उक्त बरामदगी के सम्बन्ध में थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0 381/2026, धारा 5/9बी विस्फोटक अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त का नाम व पता-
1. गुलाब गुप्ता पुत्र स्व0 कन्हैया गुप्ता, निवासी पुरारानी, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी हेतु गठित पुलिस टीमें-
अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दो पुलिस टीमों का गठन किया गया है।

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-
1. प्रभारी निरीक्षक शशीचन्द चौधरी।
2. वरिष्ठ उपनिरीक्षक प्रदीप मिश्रा।
3. उपनिरीक्षक आशुतोष मौर्या।
4. उपनिरीक्षक प्रदीप वाजपेयी मय हमराह पुलिस बल।

गिरफ्तारी हेतु गठित टीम प्रथम-
उपनिरीक्षक धर्मेन्द्र शर्मा, हे0का0 भानु पाण्डेय, का0 मुकुन्द लाल मिश्रा एवं का0 छोटेलाल गोड़।

गिरफ्तारी हेतु गठित टीम द्वितीय-
उपनिरीक्षक प्रदीप वाजपेयी, हे0का0 पवन सिंह, का0 हरेन्द्र सिंह एवं का0 सुजीत यादव।